संख्या-1168/2025/2046/22-2-2023-17(574)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवता पुत्र श्री माधौ पासी, जनपद-सीतापुर के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे०-5-दया० बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवता पुत्र श्री माधौ पासी, जो बेहटी, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश एवं खलिहान के विवाद को लेकर दिनांक 04-07-1978 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, गड़ासा, लाठी व कांता से मारकर परमेश्वर नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-61/1979 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 201, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-2, सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 02.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 04-12-2015 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2022 तक अपरिहार 06 वर्ष, 07 माह 15 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 10 माह 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी देवता पुत्र श्री माधो पासी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2022 तक अपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 10 माह, 00 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवता (बन्दी संख्या-48416) पुत्र श्री माधौ पासी, जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1168/2025/2046(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।